

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरिद्वार



फोन नं० 01334 239902, फैक्स नं० 01334 239610

ई-मेल आईडी 0 - cmoharidwar@rediffmail.com, ntpoharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक- /एन0टी0सी0पी0/ 2020-21/ 4676

दिनांक 11.11.2020

प्रेषक ,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार।

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद हरिद्वार।

विशय:- हरिद्वार कुम्भ मेला-2021 को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु सहभागिता के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि जनमानस में तम्बाकू उत्पादों के सेवन करने से विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने से आम जनता को सेकंड हैंड स्मोक का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हर साल प्रत्येक वर्ष कई लोगों को जानलेवा बीमारियों का शिकार होना पड़ता है।

जैसा कि आप जानते ही होंगे की 2021 महाकुम्भ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में देश-विदेश से श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है। हरिद्वार कुम्भ मेला-2021 को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 का प्रभावी क्रियान्वयन अतिआवश्यक है जिससे कुम्भ मेला परिसर को धूम्रपान मुक्त बनाया जा सके, कुम्भ में आने वाले तीर्थयात्रियों को धूम्रपान मुक्त वातावरण प्रदान किया जा सके।

इसी सन्दर्भ में उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या UKHFWS /NHM /NCD/2016/NTCP Letters III/1975 दिनांक 06.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत करवाया गया है कि हरिद्वार कुम्भ मेला 2021 को तम्बाकू मुक्त बनाने जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि कुम्भ मेला-2021 को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए आपके सहयोग का अनुरोध है। उपरोक्त बिन्दुओं को सुनिश्चित क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार सदैव तत्पर है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कुम्भ मेला 2021 को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए आपके सहयोग अपेक्षित है।

उपरोक्त बिन्दुओं को सुनिश्चित क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार सदैव तत्पर है।

आप से यह अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहयोग देते हुये सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

- 1- समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण करना।
- 2- विशेष रूप से कुम्भ मेला परिसर में नियुक्त पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारियों को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 में प्रति प्रशिक्षण करना।
- 3- समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को अर्थदण्ड रसीद उपलब्ध कराना।
अतः हरिद्वार कुम्भ मेला-2021 को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का प्रतिषेध) अधिनियम-2003 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद हरिद्वार।

पत्रांक- /एन0टी0सी0पी0/ 2020-21

प्रतिलिपि : निम्नलिखित की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01 जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार।
- 02 मेला अधिकारी, महोदय, हरिद्वार।
- 03 अपर मुख्यचिकित्सा अधिकारी, एन0सी0डी0, हरिद्वार।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद हरिद्वार।